रेल दावा अधिकरण, नागपुर पीठ, नागपुर के समक्ष

कोरम : श्री राजीव जैन, माननीय सदस्य (न्यायिक) रेल दावा अधिकरण,नागपुर

दावा आवेदन संख्या - ओए (।। यू)/ एनजीपी/24/2023
दुर्घटना की तिथि - 18.02.2019
दावा दर्ज करने की तिथि - 16.09.2022
निर्णय तिथि - 31.07.2024

वादी : 1. श्री नागेश सुपुत्र वैजनाथ नागरगोजे
उम्र 22 वर्ष, व्यवसाय – कुछ नही

निवासी – चिद्रेवाडी (वडगांव एक्की)
पोस्ट- शेलगांव, तालुका- चाकूर
जिला- लातुर - 413518

बनाम

प्रतिवादी: भारत संघ
द्वारा महाप्रबंधक,
दक्षिण मध्य रेलवे, सिकंदराबाद

आवेदक की ओर से एडवोकेट एन.आर. मानकर
प्रतिवादी की ओर से एडवोकेट एन. लाटी

<u>निर्णय</u>

<u>दिनांक 31 जुलाई 2024 को नागपुर में पारित</u>
<u>दावे की राशि रु.8,00,000/- + ब्याज</u>

आवेदक श्री नागेश सुपुत्र वैजनाथ नागरगोजे ने अनपेक्षित दुर्घटना में गंभीर रुप से घायल होने के कारण प्रतिवादी रेलवे के विरूद्ध रेल दावा अधिकरण अधिनियम की धारा 16 के तहत इस अधिकरण में मामला दाखिल किया है और प्रतिवादी रेलवे से रु.8,00,000/- के मुआवजे की मांग की है।

1. दावा आवेदन के अनुसार दुर्घटना के मुख्य अंश :-

क. दुर्घटना की तिथि	:	18.02.2019
ख. जख्मी का नाम एवं उम्र	:	नागेश सुपुत्र वैजनाथ नागरगोजे, 30 वर्ष
ग. आवेदक के जख्मों का विवरण	:	अनपेक्षित दुर्घटना की वजह से आवेदक का दाहिना हाथ कंधे के पास से कट गया एवं पीठ पर गंभीर चोट लगी।

घ. टिकट का विवरण : आवेदक ने दिनांक 18.02.2019 को कुमथा खुर्द से उदगीर तक की यात्रा हेतु अनारक्षित रेल यात्रा टिकट सं. 44258 रु.10/- खरीदी थी जिसे आवेदक ने दावा आवेदन के साथ ए-1 पर प्रस्तुत किया है।

ङ. ट्रेन एवं यात्रा का विवरण : दिनांक 18.02.2019 को आवेदक कुमथा खुर्द से उदगीर तक की यात्रा ट्रेन सं. 57548 पुर्णा-हैदराबाद एक्सप्रेस ट्रेन से कर रहा था।

च. संक्षिप्त में घटना का विवरण : दिनांक 18.02.2019 को यात्रा के दौरान ट्रेन को अचानक लगे जोर के झटके के कारण वह उदगीर रेलवे स्टेशन के पास किमी सं. 171/12 पर चलती ट्रेन से गिर गया और ट्रेन के पहिए की चपेट में आने से उसका दाहिना हाथ गंभीर रुप से जख्मी हो गया और कंधे के पास से कट गया। रेलवे पुलिस एवं अन्य यात्रियों ने उसे सरकारी अस्पताल उदगीर में भर्ती किया। पश्चात सहयाद्री अस्पताल लातूर में दिनांक 18.02.2019 से 04.03.2019 तक उसका इलाज चलता रहा।

छ. अधिकरण का क्षेत्राधिकार : दुर्घटना स्थल अधिकरण के क्षेत्राधिकार में आता है।

आवेदक ने इस अनपेक्षित दुर्घटना में गंभीर रुप से घायल होने के कारण प्रतिवादी रेलवे से रु. 8,00,000/- मुआवजा राशि और ब्याज की मांग की है।

2. **प्रतिवादी रेलवे के जवाब के मुख्य अंश :**

अ. प्रतिवादी रेलवे ने लिखित कथन में आवेदक के दावा आवेदन के सभी तथ्यों एवं अनपेक्षित दुर्घटना को मानने से इंकार करते हुए कहा कि जख्मी दिनांक 18.02.2019 को ट्रेन सं. 57548 पुर्णा-हैदराबाद का वैध यात्री नही था। ट्रेन सं. 57548 के ट्रेन मैनेजर ने जांच अधिकारी को दिए अपने बयान में बताया कि दिनांक 18.02.2019 को उसकी ट्रेन से किसी यात्री के गिरने की कोई सूचना दर्ज नही हुई थी। उक्त ट्रेन को कुमथा खुर्द से उदगीर के बीच कोई जर्क /धक्का नही लगा था एवं एसीपी भी नही हुई थी। डीआरएम रिपोर्ट के अनुसार जख्मी ने चलती ट्रेन से उतरने का प्रयास किया था। अतः यह मामला स्वयं अधिरोपित चोट की श्रेणी में आता है एवं इस दुर्घटना के लिए रेलवे किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं है। प्रतिवादी रेलवे ने दावा आवेदन के सभी तथ्यों को मानने से इंकार किया एवं आवेदक के दावा आवेदन को खारिज करने की मांग की।

ब. **डीआरएम रिपोर्ट का सार :-** डीआरएम रिपोर्ट के निष्कर्ष के दिनांक 18.02.2019 को 13.30 बजे उप स्टेशन अधीक्षक/ उदगीर को स्थानीय व्यक्ति ने सूचित किया कि उदगीर स्टेशन पर एक अज्ञात व्यक्ति घायल अवस्था में ट्रैक पर पड़ा हुआ है और उसका दाहिना हाथ कट गया है। सूचना प्राप्त होने पर जीआरपी / उदगीर ने घटना स्थल किमी सं. 171/12 अटेंड किया और घायल को सरकारी अस्पताल/ उदगीर पहुंचाया। घायल व्यक्ति की पहचान नागेश सुपुत्र

वैजनाथ नागरगोजे के तौर पर हुई । जख्मी के पास से कुमथा खुर्द से उदगीर तक की यात्रा हेतु रेल यात्रा टिकट सं. 44258 प्राप्त हुई जो सत्यापन के दौरान सही पायी गई । जांच के दौरान जख्मी ने अपने बयान में बताया कि वह ट्रेन सं. 57548 के जनरल कोच के दरवाजे के पास खडे होकर कुमथा खुर्द से उदगीर की यात्रा कर रहा था और चलती ट्रेन से उतरने के प्रयास में गिर कर जख्मी हुआ था । उक्त घटना में रेलवे की कोई गलती नही है ।

स. **ट्रायल के दौरान किए गए प्रतिवाद या डीआरएम रिपोर्ट से भिन्न तथ्य :- कुछ नहीं**

3. **मिसाल के तौर पर प्रस्तुत किए गए मामले एवं उनका अंश :-**

4. **प्रस्तुत की गई गवाही का विवरण:-**

नागेश सुपुत्र वैजनाथ नागरगोजे की गवाही दिनांक 01.02.2024 को ए.डब्ल्यू.1 के तौर पर पेश की गई एवं ए-1 से ए-16 के अनुसार दस्तावेज दाखिल किए गए । ए.डब्ल्यू.1 ने कहा कि वह 10वीं तक पढ़ा है । वह ट्रेन के दरवाजे के पास खडे होकर यात्रा कर रहा था । अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत अपने एफिडेविट में जख्मी ने बताया कि दिनांक 18.02.2019 को वह अपने रिश्तेदार श्री विष्णु सुपुत्र अशोक केंद्रे के साथ कुमथा खुर्द रेलवे स्टेशन पर आया और कुमथा खुर्द से उदगीर की यात्रा ट्रेन सं. 57548 पुर्णा – हैदराबाद पैसेंजर ट्रेन से यात्रा हेतु स्वयं के लिए रेल यात्रा टिकट सं. 44258 रु.10/- की खरीद की । वह अपने रिश्तेदार के साथ वैध यात्रा टिकट के साथ उक्त ट्रेन में यात्रा कर रहा था । ट्रेन में अत्याधिक भीड़ होने के कारण वह ट्रेन के दरवाजे के पास खडे होकर यात्रा कर रहा था । ट्रेन जब उदगीर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर आ रही थी उसी समय ट्रेन के लगे अचानक लगे जोर के झटके के कारण वह चलती ट्रेन से किमी सं. 171/12 पर उदगीर रेलवे स्टेशन पर गिरकर गंभीर रुप से जख्मी हो गया । ट्रेन के पहिए की चपेट में आने से उसका दाहिना हाथ कट गया और पीठ में (Lumber Vertebra L-1) चोट लगी ।

5. **निर्धारित किए गए मुद्दे एवं मुद्दों पर विचार कर लिया गया निर्णय –**
दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर निर्धारित किए गए मुद्देः-

मुद्दा क्र.1 क्या आवेदक संबंधित तिथि को वैध यात्रा टिकट के साथ कथित ट्रेन का सद्भाविक यात्री था ?

6. दावा आवेदन के अनुसार आवेदक ने दिनांक 18.02.2019 को कुमथा खुर्द से उदगीर तक की यात्रा हेतु अनारक्षित रेल यात्रा टिकट सं. 44258 रु.10/- खरीदी थी जिसे आवेदक ने दावा आवेदन के साथ एक्जीबिट ए-1 पर प्रस्तुत किया है ।

7. प्रतिवादी रेलवे ने जख्मी द्वारा रिकार्ड पर दाखिल रेल यात्रा टिकट को मानने से इंकार किया और कहा कि घटना स्थल पंचनामा में कोई रेल यात्रा टिकट या पास बरामद नही हुआ था ।

8. घटना के पश्चात निरीक्षक / आरपीएफ/ परली द्वारा बनाए गए अनपेक्षित दुर्घटना का संक्षिप्त विवरण (फार्म-2) जो डीआरएम रिपोर्ट के साथ पृष्ठ सं 13 और 14 पर संलग्न है में जख्मी के पास से प्रिंटेड कार्ड टिकट सं. 44258 दिनांक 18.02.2019, सामान्य श्रेणी, कुमथा खुर्द से

उदगीर प्राप्त होने का उल्लेख है । डीआरएम रिपोर्ट के साथ संलग्न पृष्ठ सं 16 पर उक्त टिकट का सत्यापन सर्टीफिकेट प्रस्तुत है । जिसमें सत्यापित किया गया कि प्रिंटेड टिकट सं. 44258 कुमथा रोड से उदगीर को कुमथा खुर्द हॉल्ट एजेंट द्वारा जारी किया गया था जिसे रिकार्ड के अनुसार क्रमांक सं. 44100 से 44600 तक को दिनांक 31.01.2019 को HER स्टेशन द्वारा आपूर्ति किया गया । इससे स्पष्ट होता है कि उक्त टिकट जख्मी की ही है और वह रेल यात्रा टिकट खरीद कर अधिकृत यात्री के नाते से यात्रा कर रहा था । तदनुसार इस मुद्दे का निर्धारण आवेदक के पक्ष में किया जाता है।

मुद्दा क्र.2 .क्या आवेदक ने यह साबित किया कि वह रेल अधिनियम की धारा 123 (सी) के तहत कथित तिथि को अनपेक्षित दुर्घटना में जख्मी हुआ था ?

9. दावा आवेदन के अनुसार आवेदक दिनांक 18.02.2019 को अनारक्षित टिकट सं. 44258 के साथ ट्रेन सं. 57548 पुर्णा-हैदराबाद एक्सप्रेस से कुमथा से उदगीर तक की यात्रा कर रहा था । यात्रा के दौरान ट्रेन को अचानक लगे जोर के झटके के कारण वह उदगीर रेलवे स्टेशन के पास किमी सं. 171/12 पर चलती ट्रेन से गिर गया और ट्रेन के पहिए की चपेट में आने से उसका दाहिना हाथ गंभीर रुप से जख्मी हो गया एवं कंधे के पास से कट गया साथ ही पीठ में गंभीर चोट लगी । रेलवे पुलिस एवं अन्य यात्रियों ने उसे सरकारी अस्पताल उदगीर में भर्ती किया । पश्चात सहयाद्री अस्पताल लातूर में दिनांक 18.02.2019 से 04.03.2019 तक उसका इलाज चलता रहा ।

10. प्रतिवादी रेलवे का कहना है कि जख्मी दिनांक 18.02.2019 को ट्रेन सं. 57548 का वैध यात्री नही था । ट्रेन सं. 57548 के ट्रेन मैनेजर ने अपने बयान में बताया कि दिनांक 18.02.2019 को उसकी ट्रेन से किसी यात्री के गिरने की कोई सूचना दर्ज नही हुई थी । डीआरएम रिपोर्ट के अनुसार जख्मी ने चलती ट्रेन से उतरने का प्रयास किया था । अतः यह मामला स्वयं अधिरोपित चोट की श्रेणी में आता है एवं इस दुर्घटना के लिए रेलवे किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं है ।

11. स्टेशन अधीक्षक/ उदगीर द्वारा आरपीएफ/ जीआरपी/ उदगीर को लिखित मेमो (एक्जीबीट ए-2) जारी कर सूचित किया कि एक लडका उम्र लगभग 18 वर्ष ट्रैक पर मिला जिसका हाथ कट गया है । यह सूचना ट्रेन सं. 57548 के पास हो जाने के पश्चात तुरंत मिली है । यह सूचना स्थानीय व्यक्ति ने दी है । सूचना प्राप्त होने पर जीआरपी / परली वैजनाथ ने घटना स्थल अटेंड किया एवं उक्त घटना को पुलिस स्टेशन डायरी (एक्जीबीट ए-3) में दर्ज किया । पुलिस स्टेशन डायरी में उल्लेखित है कि नागेश वैजनाथ नागरगोजे उम्र 18 लगभग ट्रेन सं. 57548 पुर्णा- हैदराबाद पैसेंजर ट्रेन से आज दिनांक 18.02.2019 को कुमथा खुर्द से उदगीर की यात्रा करते हुए उदगीर रेलवे स्टेशन पर किमी स. 171/12 पर प्लेटफार्म के ऑफ साईड से उतरते समय ट्रेन को अचानक लगे जोर के झटके से चलती ट्रेन से नीचे गिर गया जिससे उसका दाहिना हाथ कट गया । जीआरपी / परली वैजनाथ द्वारा इस घटना के संबंध में तैयार जख्मी का रजिस्टर (एक्जीबीट ए-4) और घटना स्थल पंचनामा (एक्जीबीट ए-5) में भी उल्लेखित है कि जख्मी उदगीर रेलवे स्टेशन के किमी सं. 171/12 के पास स्टार्टर सिगनल सं एस/17 के पास चलती ट्रेन से गिर गया ।

12. इस घटना के संबंध में रेलवे सुरक्षा बल/ परली वैजनाथ द्वारा बनाए गए विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (DAR) जो डीआरएम रिपोर्ट के साथ पृष्ठ सं.11 पर प्रस्तुत है के क्र.सं. 20 में **Possible cause for death or Injury में fallen down from train No 57548** उल्लिखित है।

13. सह्याद्री एक्सीडेंट एवं न्यूरो केयर सेंटर प्राईवेट लिमीटेड/ लातुर द्वारा बनायी गई आवेदक की डिस्चार्ज कार्ड (एक्जीबीट ए-10) में "Fall from running railway at Udgir station on 18.12.2019" लिखा है।

14. **Hon'ble Apex Court in case of Rina Devi in Civil Appeal No. 4945 of 2018 decided on 09/05/2018 observed that unless negligence is callous and imprudent and there is an intent to harm, it cannot be termed as Self Inflicted Injury.** Self-inflicted injury has been defined as an injury suffered by a person with intention to suffer harm. In this case, there is no such intent in the instant case. No cogent evidence could be adduced by the Respondent which may establish that the applicant injured due to self inflected injury or any other reasons. Thus based on above facts and other evidences placed on record, it is clearly established that the accidental fall of applicant while boarding the train was an untoward incident resulting into injuries to applicant.

15. यह घटना रेलवे स्टेशन परिसर में हुई है इसलिए रेलवे अपनी स्ट्रीक्ट लाइबिलिटी से बच नहीं सकती। यदि कोई अधिकृत यात्री यात्रा के दौरान चलती ट्रेन से स्टेशन पर या मिड सेक्शन में गिरकर जख्मी होकर मृत या घायल हो जाए तो इसे अनपेक्षित दुर्घटना ही माना जाएगा। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील सं. 4945/2018 (Special Leave Petition (Civil) No.10223 @ D.No.6059/2018) भारत संघ बनाम रीना देवी में दिनांक 09 मई 2018 को पारित आदेश एवं दिशानिदेश के तहत चलती गाड़ी में चढ़ते समय या उतरते समय घटित घटना को अनपेक्षित दुर्घटना माना गया है।

16. अतः मेरे विचार में आवेदक अनपेक्षित दुर्घटना में घायल हुआ है और रेलवे, आवेदक को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी है। अतः मुद्दा क्र. 02 आवेदक के पक्ष में उत्तरित किया जाता है।

मुद्दा क्र. 3 - राहत ?

17. मुद्दा क्रमांक 1 और 2 आवेदक के पक्ष में उत्तरित होने के कारण यह माना जा सकता है कि आवेदक ट्रेन का सद्भाविक यात्री था और अनपेक्षित दुर्घटना में घायल हुआ था। आवेदक मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः इस मामले में निम्न आदेश पारित किया जाता हैः-

18. रेलवे एक्सीडेंट व अनटुवर्ड इंसिडेंट (कंपनसेशन) नियम, 1990 के साथ संलग्न अनुसूची भाग-I के तहत निर्धारित मुआवजा राशि, जो सामान्य व सहायक नियम नं. 1165 (ई),

दिनांक 22.12.2016 के अंतर्गत संशोधित की गई है तथा दिनांक 01.01.2017 से लागू है, के अनुसार आवेदक को मुआवजा प्रदान किया जा रहा है ।

19. आवेदक द्वारा रिकार्ड पर दाखिल किए गए सहयाद्री एक्सीडेंट एवं न्यूरो केयर सेंटर प्राईवेट लिमीटेड/ लातुर द्वारा जारी डिस्चार्ज कार्ड (एक्जीबीट ए-10), आवेदक का डिसाबिलिटी सर्टीफिकेट (एक्जीबीट ए-11) एवं आवेदक द्वारा रिकार्ड पर दाखिल रंगीन तस्वीर (एक्जीबीट ए-13) और (एक्जीबीट ए-14) का अवलोकन किया गया । डिसाबिलिटी सर्टीफिकेट में लिखित है कि "He is a case of Locomotor Disability and case is Fracture lumbar vertebra L1 and he has 70% permanent Disability" । दिनांक 01.02.2024 को अधिकरण में प्रत्यक्ष रुप से आवेदक के जख्मों का परीक्षण किया गया जिससे ज्ञात होता है कि आवेदक का दाहिना हाथ कंधे के पास से कट गया है और पीठ में भी चोट लगी है । आवेदक को लगे जख्म दिनांक 01.01.2017 को संशोधित रेलवे एक्सीडेंट व अनटूवर्ड इंसिडेंट (कम्पनसेशन) नियम,1990, संशोधन नियम, 2016 की अनुसूची के तहत आते हैं । अनुसूची के भाग-III क्रमांक 1 के तहत आवेदक को मिलने वाली दावा राशि का विवरण निम्नानुसार हैः – क्र.1- स्कंध संधि से विच्छेदन के लिए (For amputation through shoulder joint) के लिए रु. 7,20,000/- (रु. सात लाख बीस हजार मात्र) है । अतः इस मामले में निम्न आदेश पारित किया जाता है ।

आदेश

20. यह दावा आवेदक के पक्ष में निर्णीत किया जाता है । प्रतिवादी रेलवे द्वारा आवेदक को रु. 7,20,000/- (रु. सात लाख बीस हजार मात्र) का मुआवजा देने का आदेश दिया जाता है । आवेदक को दुर्घटना की तिथि अर्थात 18.02.2019 से भुगतान की तिथि तक मुआवजा राशि पर 9% साधारण ब्याज की दर से ब्याज भी प्रदान किया जाता है । मुआवजा राशि का वितरण निम्नानुसार है–

आवेदक का नाम	मुआवजा राशि	मुआवजा राशि का वितरण	
		नकद राशि	**एन्यूटी राशि/ सावधी जमा**
श्री नागेश सुपुत्र वैजनाथ नागरगोजे	रु. 7,20,000/-	रु. 72,000/- + ब्याज	6,48,000/-

21. जहाँ तक मुआवजे की राशि के वितरण का प्रश्न है, गीता देवी बनाम भारत संघ (एफ.ए.ओ. 22/2015 एवं सीएमए 4501/2015) दिनांक 24 मई, 2019, मामले में माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा निम्न बातों पर गौर कर आदेश पारित किया गया –

5. As Regards Amendment to the Railway Accidents and Untoward Incidents (Compensation) Rules, 1990

1.1 Many of the claimants are drawn from rural areas with low levels of literacy and lower levels of making appropriate decision for the use of

amounts guaranteed under the awards. There are several instances of their exploitation by middlemen and touts operating in the field. The scope for such exploitation is itself one of the incentives for fomenting bogus claims, fabricated documents and duplicate claims in different Benches of the Tribunal for the same cause of action. The availability of bulk funds in the name of an ill-informed claimant is also a cause for exploitation. A scheme for protection of the amount due to such a claimant is the need of the hour. Earlier, this Court has involved 21 Nationalised Banks in dialogue to evolve a scheme of annuities for disbursement of claims. They have been ordered already to be implemented in this case, vide directions passed on 22nd February, 2019. This scheme as applied to motor accident claims has been approved by the Supreme Court in its order dated 05th March, 2019 in Krishnamurthi v New India Insurance Company, SLP (C) No.31521-31522 OF 2017. A statutory rule backing will, therefore, best serve the interest of litigant….."

22. माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा पारित किए गए आदेश के अनुपालन में भारत सरकार ने दिनांक 3 जून 2020 को अधिसूचना क्र.जीएसआर (ई) 347 जारी करते हुए रेलवे दुर्घटना एवं अनपेक्षित दुर्घटना (मुआवजा) नियम 1990 के नियम 5 को संशोधित किया जो निम्नानुसार हैः-

"5. Mode of Payment -

5.1 The Tribunal may, in order to protect the sum awarded to the claimant, having due regard to the illiteracy or other disabling factors impairing the judicious use of such sum, issue directions for disbursing the award in terms of annuities, fixed deposits or other suitable mode as shall subserve justice.

5.2 If any of the claimants is a minor or person of unsound mind, the Tribunal may give liberty to the guardian ad litem to use the interest accruals on the deposit that shall be made during the minority for maintenance.

5.3 Nothing in this rule shall limit the power of the Tribunal to make modifications of the mode of disbursal for reasons to be stated in writing depending on the exigencies requiring liquidation of any corpus created for annuity or premature closure of fixed deposit, for the benefit of the claimant.

5.4 The orders dated 21st April, 2017, 24th May, 2019 and 06th November, 2019 of Hon'ble High Court of Delhi in FAO No. 22/2015 and CM Application No. 4501/2015 in Geeta Devi Vs Union of India, relating to disbursement of compensation shall be read as part of this rule.

23. अतः दिनांक 03 जून 2020 के नोटिफिकेशन के अंतर्गत संशोधित रेलवे दुर्घटना एवं अनपेक्षित दुर्घटना (मुआवजा) नियम 1990 के नियम 5 के अनुपालन के अनुसार वर्तमान केस में मुआवजा राशि का वितरण निम्नानुसार किया जाता हैः-

24. आवेदक को प्रदान की गई मुआवजा राशि में से 10% एवं ब्याज की राशि को उसके बचत बैंक खाते में ईसीएस/एनईएफटी के माध्यम से जमा किया जाएगा । आवेदक की शेष मुआवजा राशि रु. 6,48,000/- (छः लाख अडतालीस हजार मात्र) को रु. 9,000/- की 72 (बहत्तर) समान भागों में एफ.डी. में विभाजित कर 01 से 72 माह की अवधि के लिए बढ़ते क्रम में निवेश किया जाएगा । बैंक द्वारा प्रतिमाह एक मासिक जमा राशि + संचयी ब्याज की एक एफ.डी. को क्रमानुसार आवेदक के बैंक खाते में जमा कर भुगतान किया जाएगा ।

25. प्रतिवादी रेलवे को निर्देश दिया जाता है कि वह ब्याज सहित मुआवजा राशि को अपर निबंधक द्वारा संचालित रेल दावा अधिकरण, नागपुर के स्युटर मनी (Suitors Money) एकाउंट में इस आदेश की तिथि से 60 दिनों के भीतर जमा करे । यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रतिवादी रेलवे ब्याज सहित मुआवजा राशि को जमा करते समय भुगतान का पूर्ण विवरण जैसे यू.टी.आर नंबर, ब्याज की गणना सहित प्रत्येक आवेदक के मुआवजा राशि का हिस्सा इत्यादि की सूचना पंजीकृत डाक से आवेदकों को देगा एवं इसकी एक प्रति अपर निबंधक और आवेदकों के अधिवक्ता को भी देगा ।

26. आवेदक को यह निर्देश दिया जाता है कि वह अपने निवास स्थान के निकट स्थित राष्ट्रीयकृत बैंक के खाते का विवरण इस अधिकरण के अपर निबंधक के समक्ष व्यक्तिगत रुप से उपस्थित होकर प्रस्तुत करे ।

27. यदि आवेदक टीडीएस कटौती की छूट के हकदार है तो वह फार्म 15-जी या फार्म 15-एच (वरिष्ठ नागरिक) को इस आदेश की तिथि से 15 दिनों के भीतर प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के समक्ष जमा करे एवं इस स्थिति में मुआवजा राशि से किसी भी प्रकार के टीडीएस की कटौती नहीं की जाएगी।

28. जीएसआर 347 (ई) दिनांक 03 जून 2020 के अनुसार संशोधित रेलवे दुर्घटना एवं अनपेक्षित दुर्घटना (मुआवजा) नियम 1990 के नियम 5.4.4 के अनुपालन हेतु सावधि जमा के लिए निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जाएः-

I. आवेदक के बचत खाते या सावधि जमा खाते पर बैंक किसी भी संयुक्त खाते की अनुमति नहीं देगा।
II. इस अधिकरण की अनुमति के बिना आवेदक की सावधि जमा पर किसी भी प्रकार का लोन, अग्रिम, समय पूर्व भुगतान नहीं होगा।

III. बैंक आवेदक को किसी भी प्रकार की चेक बुक या डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड जारी नही करेगा। यद्यपि चेक बुक या डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड पहले से जारी किया गया हो तो मुआवजा राशि के भुगतान के पूर्व उसे निरस्त करेगा।

IV. बैंक आवेदक की पासबुक पर यह प्रविष्टि करेगा कि आवेदक को चेक बुक या डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड जारी नहीं किए गए हैं और अधिकरण की अनुमति के बिना जारी नहीं किए जाएंगे। आवेदक उक्त प्रविष्टि के साथ बैंक की पासबुक इस अधिकरण के अपर निबंधक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे ।

29. उपरोक्त आदेशानुसार इस दावे को मंजूर किया जाता है। तथापि, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाता है ।

30. दिनांक 31.07.2024 को खुले कोर्ट में अधिघोषित किया गया।

31. दावा फाईल अभिलेख विभाग को सुपुर्द की जाए ।

(राजीव जैन)
सदस्य (न्यायिक)

नागपुर.
दिनांक: 31.07.2024
#SK#